

पत्रांक- 1/9 /1सी0 (वन)

दिनांक 18/01/2018

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840 /2015 नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.170 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका ई०डी०एस० दिनांक 17.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 1 justification provided for trees but original hard copy of revised enumeration list of tree not provide.	revised enumeration list of tree की मूल प्रति कृपया अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
2	In reply to point no 2, it is mentioned that revised NPV bill is uploaded online as additional document in part-II but the same is not found uploaded . Further, density is mentioned as 0.2 for 51 trees in 0-17 ha area which may be reviwed again and mentioned as 0.2 for 51 tree in 0.17 ha area which may be reviwed again and revised NPV calculation sheet may be uploaed and submitted.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	In reply to point No. 3 FRA certifiace is still undated and proceedings of sub divisional level committee are given without mentioning date of meeting. State govt. has also not clarified why to fell 39 saplings and 43 tee for 1 km long road over 0.140 ha forest land. what is the necessity to construct this road.	एफ०आर०ए० के प्रमाण पत्र मूल में इस कार्यालय के पत्रांक सं० 1624/1सी० वन दिनांक 10.11.2017 द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित कर दिये गये हैं, Sub divisional level committee में तिथि अंकित गई है। छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। परियोजना से सम्बन्धित ग्राम की जनसंख्या 431 है। पहाड़ों पर आवागमन में अत्यन्त कठिनाई व विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जिस कारण मोटर मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता है।
4	In reply to pont no 4, original hard copy of proposal still not received in this office.	प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक सं० 437/1सी० वन दिनांक 18.3.2016 के द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। तत्पश्चात अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून के पत्र सं० 3274 दिनांक 02.5.2016 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

भवदीय

18/01/18

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

क्रक - 1624 / 1सी0 (वन)

दिनांक 10/11 / 2017

स्था म

उपवन संरक्षक

केदनाथ वन्य जीव प्रभाग

गोपेश्वर।

विषय - प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840 /2015 नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार

के निर्माण हेतु 0.170 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ - आपका ई०डी०एस० दिनांक 25.10.2017 एवं भारत सरकार के ई०डी०एस० दिनांक 16.10.2017

संदर्भ

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार मोटर मार्ग में लगी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	The reply to point No. 3 is not complete as no clarification has been provided regarding number of trees involved, which is shown as 51 at online Part-II but as 36 in the enumeration list. Further, in the scheme provided for planting 10 times the number of trees proposed to be felled by way of CA, the number of trees involved is mentioned as 94 and scheme given is for planting of 940 trees. State Government may clarify exact number of trees to be felled and correct all these documents accordingly.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
2	Density and NPV may also be reviewed if required in view of corrections suggested at point No.1 Above. Eco Class may also be reviewed	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	Reply to the issues raised in this office letter dt. 30-05-2016 is also not provided, which may be provided now.	इस बिन्दु का उत्तर इस कार्यालय के पत्रांक सं० 1456/1सी० वन दिनांक 8.9.2016 द्वारा आपको प्रेषित किया जा चुका है। संलग्न- 1- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।
4	Original hard copy of FRA certificate alongwith original or attested copies of proceedings of meeting of District Level Committee, Sub Divisional Level Committee and Village Level Committee, under FRA may be submitted	एफ०आर०ए० के सभी प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। संलग्न 2- एफ०आर०ए० के सभी प्रमाण पत्र।
5	GIS software generated geo-referenced digital map for the area proposed for diversion showing geo-coordinates at an interval of 200-300 m and at all turning points may be uploaded online at para- C (iv) Part-I. Location of muck dumping sites may also be shown using geo-coordinates. Original hard copy of the map may be submitted for record purpose	GIS software generated geo referenced digital map संशोधित कर प्रत्येक 200 से 300 मी० पर coordinates एवं मकडिस्पोजल बिन्दु दर्शा कर निर्धारित कॉलम में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 3- डिजिटल मैप टोपोशीट मैप

नोट: अनुप्रेषित है अपने स्तर से भी सम्बन्धित बिन्दुओं का निराकरण कर एफ०आर०ए० एवं मानचित्र मूल में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नौटी अभिशासी टिप्पणियों पर ध्यान देकर जालानो दहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
(गौचर (चमोली))

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.धो. में नौरी-छातेली मोर मा.का
जखे तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मरु-डियो जल हेतु 0.03
हे. कुल 0.170 हे. सिविल वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, आदिवादी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, आदिवादी

उपखण्ड आदिवादी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नौरी-छातेली मोर मा.का जखे तक विस्तार
के निर्माण हेतु (X) हे० आरक्षित वन भूमि 0.140 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.030 हे० सिविल वन
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.170 हे० वन भूमि) का
लो. नि. वि. जौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदिवादी) की दिनांक 07/05/2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1- | श्री _____ | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>जो० लाल</u> | उप प्रभागीय वन अधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री <u>मुन्दलाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- | श्री _____ | बी०डी०सी० क्षेत्र | निम्न सदस्य |

बाद से 11 सित

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.धो. में नौरी-छातेली मोर मा.का
जखे तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.140 हे. एवं मरु-डियो जल हेतु 0.030 हे० वन
भूमि कुल 0.170 हे. सिविल वन भूमि का लो. नि. वि. को हस्तान्तरण।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

डी०एस० चहा

राजस्व उप निरीक्षक

जिला-चमोली

केदारनाथ वन जीव प्रभाग

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से गान्धीय राक्षसों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैंक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदिवासी परिक्षेत्र के अन्तर्गत नैरी - धातोली में भू. नि. प्र. ज. च. के अन्तर्गत प्र. नि. प्र. ज. च. के निर्माण हेतु 0.170 हे० वन भूमि प्र. नि. प्र. ज. च. को जनाहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तहसील-
जिला-चमोली

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-आदिवासी
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-आदिवासी
जनपद-चमोली